Office of the Comptroller & Auditor General of India
New Delhi -110 124

(For exclusive use in IA&AD and not to be quoted or published elsewhere)

Circular No. 27 - Staff (App 1)/2019

No. 985 - Staff (App 1)/16-2012
Dated: 22.07.2019

To

1. All the Heads of Department in the IA&AD
2. The Director General (Exam)
3. The Pr. Director (Commercial)
4. The Pr. Director (IR & Training)
5. The Director (P)

Subject: **Recruitment Rules to the post of Sr. Private Secretary in Indian Audit and Accounts Department.**

Sir/Madam,

I am to enclose a copy of Recruitment Rules to the post of Sr. Private Secretary in Indian Audit and Accounts Department, notified in Gazette of India, Part II Section 3 Sub-Section (i) vide GSR No. 89 dated 29.03.2019.

2. As per Column 11 of the Schedule of the Recruitment Rules to the post of Sr. Private Secretary, the eligibility criteria for promotion to this post is Private Secretary in level 7 of pay matrix (Rs 44,900-1,42,400) with two years regular service in the grade **or** Stenographer, Gr. I in level 6 of pay matrix (Rs 35,400-1,12,400) with six years regular service in the grade and having successfully completed two weeks mandatory training in the area from the institutes to be prescribed by the Department.

3. Accordingly, the Cadre Controlling offices are requested to take up the issue regarding training plan/module for training of eligible Private Secretary and Stenographer, Gr. I with the Training Wing of Headquarters' Office and trained them so that they can be considered for promotion to the post of Sr. Private Secretary as per revised Recruitment Rules.

4. The receipt of this circular may be acknowledged.

Yours faithfully,

(V. S. Venkatanathan)
Assistant Comptroller and Auditor General (N)

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, मार्च 31—अप्रैल 6, 2019, शनिवार/चैत्र 10—चैत्र 16, 1941

No. 14] NEW DELHI, MARCH 31—APRIL 6, 2019, SATURDAY/CHAITRA 10 — CHAITRA—16, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

सा.का.नि.89.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श करके भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, के क्षेत्रीय कार्यालय में ज्येष्ठ निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, ज्येष्ठ निजी सचिव, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

316

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **आरंभिक गठन.—** भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में, इन नियमो के प्रारम्भ की तारीख से पहले, ज्येष्ठ निजी सचिव पद के पदधारियों को इन नियमों के अधीन, अनुसूची में वर्णित तत्सम पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा और इन नियमों के प्रारम्भ से पहले, उक्त पद पर, उनके द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवाओं की परिवीक्षा की अवधि, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, पुष्टि और पेंशन के प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी।

5. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

7. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ निजी सचिव	47* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, सचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रु.) में स्तर- 8	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

325

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति- **दशा-I:** जहाँ निजी सचिव के पद है: (I) वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (44900-142400 रु.) में से ऐसे निजी सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ विभाग द्वारा विहित होने वाले संस्थानो से क्षेत्र में दो हफ़्तो का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ; या **दशा-II:** जहाँ निजी सचिव के पद नहीं है (I) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400 रु.) में छः वर्ष की नियमित सेवा के साथ में के ऐसे आशुलिपिक- श्रेणी-I जिन्होंने विभाग द्वारा विहित होने वाले संस्थानों से क्षेत्र में दो हफ्तों का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उन्नतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी: **(क)** (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) मूल काडर या विभाग में: वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु.) में स्तर- 7 में के ऐसे निजी सचिव जिन्होने उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस पद पर दो वर्ष नियमित सेवा की हो; **टिप्पण 1:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. काडर नियंत्रक: लेखापरीक्षा के महानिदेशक या प्रधान महालेखाकार या महालेखाकार या प्रधान निदेशक - सदस्य 2. लेखापरीक्षा के महानिदेशक या प्रधान महालेखाकार या महालेखाकार या प्रधान निदेशक - सदस्य 3. लेखापरीक्षा के महानिदेशक या प्रधान महालेखाकार या महालेखाकार या प्रधान निदेशक - सदस्य (उपरोक्त सभी में सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष होंगे)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है

[फा. सं. ए-12018/04/2012-ई.जी.]

निर्मला देव, उप सचिव

व्याख्यात्मक टिप्पण:- ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। हालाँकि वर्तमान पदधारियों की सेवाओं को नियमित करने के उद्देश्य से नियम 4 पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रवृत्त होगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि नियम 4 के पूर्वव्यापी प्रभाव का किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

367

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 29th March, 2019

G.S.R. 89.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution, the President after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Senior Private Secretary in the field offices of the Indian Audit and Accounts Department, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department, Senior Private Secretary, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, Level in Pay Matrix.**—The number of post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Initial Constitution**.- The incumbents holding the post of Senior Private Secretary in the Indian Audit and Accounts Department on the date of the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules to the corresponding post mentioned in the Schedule and the service rendered by them in the said post on regular basis before the commencement of the said rules shall be taken into account for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

5. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**— Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Private Secretary	47* (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Level 8 (Rs. 47600-151100)	Selection	Not applicable

363

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: **Case 1: Where the post of Private Secretary exists:** (I) Private Secretary in Level 7 (Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix with two years regular service in the grade, who have successfully completed two weeks mandatory training in the area from the institutes to be prescribed by the Department; or **Case 2: Where the post of Private Secretary does not exist:** (I) Stenographer Grade - I with six years regular service in Level 6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix who have successfully completed two weeks mandatory training in the area from the institutes to be prescribed by the Department. **Note:** Where juniors who have completed qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government: (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Cadre Controller - Director General of Audit or Principal Accountant General or Accountant General or Principal Director of Audit -Member; (2) Director General of Audit or Principal Accountant General or Accountant General or Principal Director of Audit -Member; (3) Director General of Audit or Principal Accountant General or Accountant General or Principal Director of Audit -Member. (The senior most amongst the above shall be the Chairperson).	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

362

department; or (ii) with two years regular service in the post of Private Secretary grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 7 in Pay Matrix (Rs. 44900-142400) in the parent cadre or department. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/04/2012-EG]

NIRMALA DEV, Dy. Secy.

Explanatory Note: These rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette. However, rule 4 comes into force from retrospective effect with a view to regularise the service of the existing incumbents. It is certified that by giving retrospective effect to rule 4, no one is likely to be adversely affected.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

(शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय)

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2019

सा.का.नि.90.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चीनी निदेशालय (लागत लेखापाल) भर्ती नियम, 1981, का, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, के अधीन शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय में कनिष्ठ लागत लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय (कनिष्ठ लागत लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।